माननीय न्यायमूर्ति डॉ. सरोजनी सक्सेना, के समक्ष

बैंक ऑफ इंडिया,-याचिकाकर्ता।

बनाम

मेसर्स दिल्ली फरीदाबाद टेक्सटाइल्स पी. प्राइवेट लिमिटेड एंडोथर्स,-उत्तरदाता।

सी. आर 1995 का 534

22सितंबर, 1995।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 21 नियम 1, उपनियम (2) और (3)- निर्णीत ऋणी ने अदालत में धन जमा करा दिया है-यह स्वीकार किया जाता है कि निर्णीत ऋणी द्वारा डिक्री धारक को विनियोग के तरीके के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। डिक्री धारक को दोषी ठहराने में गलती करने वाला व्यक्ति मूलधन और फिर ब्याज के लिए देनदार द्वारा जमा की गई उचित राशि के लिए बाध्य था।

अभिनिर्धारित किया गया कि निर्णीत ऋणी ने न्यायालय में इस राशि को जमा करते समय डिक्री धारकों को मूलधन या ब्याज के लिए राशि का उपयोग करने के लिए कभी कोई सूचना नहीं दी।

(पैरा 6)

इसके अलावा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 21 नियम (1) उप-नियम 2 और 3 सी. पी. सी. के तहत निर्णीत ऋणी डिक्री धारक को विनियोग के तरीके को बताते हुए नोटिस या सूचना देने के लिए कर्तव्यबद्ध है। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो डिक्री धारक को पहले देय ब्याज के लिए और फिर मूलधन के प्रति इसे उचित बनाने का अधिकार है।

(पैरा 11)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय के आदेश के अनुसरण में की गई डिक्रीटल राशि की जमा राशि को मूलधन के प्रति नहीं माना जा सकता है।आदेश 21 के नियम 1 के उप-नियम (2) द्वारा आवश्यक किसी भी सूचना की अनुपस्थिति में और विनियोग के तरीके के संकेत की अनुपस्थिति में, भुगतान को मूलधन के लिए विनियोजित नहीं माना जा सकता है जब तक कि डिक्री धारक इसे स्वीकार नहीं करता है।

(पैरा 12)

इसके अलावा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि निष्पादन न्यायालय यह कहने में त्रुटि में पड़ गया है कि डिक्री धारक न्यायालय में निर्णय देनदारों द्वारा जमा की गई राशि को पहले मूल राशि के लिए और फिर ब्याज के लिए उचित रूप से लेने के लिए बाध्य था क्योंकि निर्णय देनदारों द्वारा याचिकाकर्ता-डिक्री धारक को नियम 1 या आदेश 21 सी.पी.सी के उप-नियम (2)

या (3) के तहत कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई थी। तदनुसार, सभी तीन पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दी जाती है।

(पैरा 13)

याचिकाकर्ता की ओर से *वरिष्ठ अधिवक्ता एल. एम. सूरी* के साथ अधिवक्ता दीपक सूरी ।

उत्तरदाता *की ओर से* अधिवक्ता पी. सी. गोयल, के साथ अधिवक्ता भावना। कुकरिया।

निर्णय

न्यायमूर्ति डॉ. सरोजनी सक्सेन.

(1) यह आदेश 1995 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 534,535 और 536 का निपटारा करेगा।

(2) याचिकाकर्ता-बैंक ने मेसर्स बरार लायन टूल्स लिमिटेड के खिलाफ 1 मई, 1980 को दीवानी मुकदमा संख्या 216/80 दायर किया। यह मुकदमा 2 जून, 1984 को 15,15,297.12 रुपये में 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मुकदमे के दौरान और भविष्य के ब्याज के साथ डिक्री किया गया था। डिक्री-धारक बैंक ने इस डिक्री को निष्पादित करने के लिए निष्पादन याचिका संख्या 33/10/86 दायर की।

(3) याचिकाकर्ता-बैंक ने 16 नवंबर, 1979 को मैसर्स दिल्ली फरीदाबाद टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सिविल मुकदमा संख्या 623/72 दायर किया जिसमे कहा गया था की 16 अक्टूबर, 1984 को 16,01,383.47 रुपये की राशि के साथ-साथ 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मुकदमे के दौरान और भविष्य के ब्याज के साथ। डिक्री-धारक बैंक ने इस राशि की वसूली के लिए निष्पादन याचिका संख्या 34/10/85 दायर की।

(4) याचिकाकर्ता-बैंक ने 15 नवंबर, 1979 को मेसर्स दिल्ली फरीदाबाद टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दीवानी मुकदमा सं. 336/80 दायर किया, जिसे 6 अक्टूबर, 1984 को 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मुकदमे के दौरान और भविष्य के ब्याज के साथ घोषित किया गया था।याचिकाकर्ता डिक्रीधारक ने डिक्री को निष्पादित करने के लिए निष्पादन याचिका संख्या 32/10/85 दायर की।

(5) इन मुकदमों विचाराधीनता रहने के दौरान और आदेशो के पारित होने के बाद, निर्णय-देनदारों ने डिक्री की संतुष्टि के लिए याचिकाकर्ता-बैंक को कुछ भुगतान किए। डिक्री पारित होने के बाद, 22 अक्टूबर, 1993 को निर्णय-देनदारों ने उपरोक्त निष्पादन याचिका संख्या 34/10/85 में 16,74,461.22 रुपये और 2,00,000 रुपये के दो ड्राफ्ट और निष्पादन याचिका एन 32/10/85 में 2,00,000 रुपये के दो ड्राफ्ट का भुगतान किया। ।याचिकाकर्ता-बैंक ने तब तक देय ब्याज के खिलाफ इन राशियों को विनियोजित किया। निर्णीत ऋणी मेसर्स दिल्ली फरीदाबाद टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने दो मामलों में और मेसर्स बरार लायन टूल्स लिमिटेड ने आदेश 21 नियम 66 और खंड 151

सी. पी. सी. के तहत तीन आवेदन इस प्रार्थना के साथ दायर किए कि उनके द्वारा किए गए भुगतान को पहले बकाया मूल राशि और फिर देय ब्याज के खिलाफ समायोजित किया जाए, जबकि डिक्रीधारक बैंक ने इसे अन्यथा विनियोजित किया है।

(6) स्वीकार करते हुए, निर्णय-ऋणदाताओं ने अदालत में इस राशि को जमा करते समय डिक्रीधारकों को मूलधन या ब्याज के लिए राशि का उपयोग करने के लिए कभी कोई सूचना नहीं दी।

(7) पंजाब नेशनल बैंक आदि बनाम प्रेम सागर चौधरी और अन्य ए.जे.आर. 1988 एच.पी. पर जवाब देते हुए निष्पादन न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि निर्णय-देनदारों द्वारा किए गए भुगतान को पहले देय मूल राशि के लिए विनियोजित किया जाना चाहिए और फिर ब्याज और लागत के लिए इस प्रकार, उपरोक्त याचिकाओं को अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, उपरोक्त याचिकाओं को अनुमति दी गई। निष्पादन न्यायालय ने आगे कहा कि वाद की स्थापना की तारीख से संपूर्ण देय राशि की वसूली की तारीख तक भविष्य का ब्याज डिक्री-धारक द्वारा केवल मूल राशि पर लिया जाएगा, अर्थात उस ब्याज पर नहीं जो डिक्री का हिस्सा है और फिर निर्णय-देनदारों द्वारा समय-समय पर किए गए भुगतान के अनुसार घटती मूल राशि पर। निष्पादन न्यायालय ने याचिकाकर्ता डिक्री-धारक बैंक को उपरोक्त भुगतानों के लिए अपने खाते का विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया ।

(8) इस पीठ के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह था कि क्या डिक्री-धारक निर्णय-देनदारों द्वारा किए गए उपरोक्त भुगतानों को विनियोग के तरीके के बारे में निर्णय-देनदारों द्वारा देखे बिना देय ब्याज के लिए उपयुक्त बनाने का हकदार है।

(9) राय बहादुर सेठ नेमीचंद बनाम सेठ राधा किशन ए.आई.आर. 1922 पी.सी. 26 पर भरोसा करते हुए, मेघराज बनाम बायाबाई ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 161 मामले में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि निर्णय-देनदार आदेश 21 नियम 1 सीपीसी द्वारा प्रदान किए गए कानून के अनुसार देनदार राशि जमा करने के लिए बाध्य है, लेकिन किसी भी नोटिस और सूचना के अभाव में केवल जमा करना है कि इसे मूलधन के रूप में जमा किया जा रहा है। यह डिक्री-धारक पर निर्भर था कि वह इसे बकाया राशि के लिए उपयुक्त बनाए।

(10) प्रेम सागर चौधरी के मामले (उपर्युक्त) में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने विचार किया और यह माना कि धन डिक्री के मामले में मेघराज के मामले (उपर्युक्त) में स्वीकृत सामान्य नियम, सम्मान के साथ पहले उदाहरण में ब्याज की संतुष्टि और फिर न्यायालय के आदेशों की मूल राशि के लिए किए जाने वाले भुगतान का विनियोग, सी.पी.सी. द्वारा नियम 1 आदेश 21 सीपीसी के संशोधन अधिनियम, 1976 के बाद निष्क्रिय हो गया है। इसने आगे कहा कि आदेश 21 के नियम 1 के नए प्रावधानों के मद्देनजर डिक्री-धारक के लिए अब यह खुला नहीं है कि वह उसे प्राप्त होने वाली राशि के उस हिस्से को उचित भुगतान कर सकता है जिसमें कोई ब्याज नहीं है। दूसरी ओर, इस तरह के भुगतान को पहले डिक्रीटल राशि के उस हिस्से के लिए लागू किया जाना चाहिए जिस पर

ब्याज लागू होता है, यदि कोई ब्याज है तों । आदेश 21 के नियम 1 के उप-नियम (4) और (5) डिक्रीटल राशि की संतुष्टि के लिए किए गए किसी भी भुगतान पर ब्याज की समाप्ति का प्रावधान करते हैं। इसने आगे कहा कि इस्तेमाल किए गए शब्द "कोई भी भुगतान", उनके प्राकृतिक अर्थ को देखते हुए, किसी भी अपवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 60 देनदार द्वारा किए गए भुगतान को लागू करने के लिए लेनदार को कोई विवेकाधिकार नहीं देती है, यह बताए बिना कि भुगतान किस ऋण पर लागू किया जाना है, समय-वर्जित ऋण सहित किसी भी वैध ऋण पर, इस धारा में होगा आदेश 21 के संशोधित नियम 1 में निहित प्रावधानों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए, जो विशिष्ट प्रकृति के हैं।

(11) इस संशोधित नियम पर केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सुजाता वीविंग मिल्स बनाम सिंडिकेट बैंक ए.आई.आर. 1994 केरल 386. में भी विचार किया है, जिसमें यह माना गया है कि जब निर्णय-देनदार न्यायालय में कोई जमा करता है, तो उसे विनियोग का तरीका भी बताना चाहिए। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो सामान्य नियम यह लागू होगा कि जमा पहले ब्याज के निर्वहन में जाएगी। तथ्य यह है कि डिक्री-धारक ने उक्त जमा राशि को वापस ले लिया, यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश 21, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 1 के उप-नियम (4) का अनुपालन किया गया था, ताकि डिक्री-धारक पहले मूलधन के लिए उक्त जमा राशि को समायोजित करने के लिए बाध्य हो। अनुपात यह है कि आदेश 21 नियम 1 उप नियम 2 और 3 सी. पी. सी. के तहत निर्णय-देनदार का कर्तव्य है कि वह विनियोग के तरीके को बताते हुए डिक्री धारक को नोटिस या सूचना दे। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तों डिक्री धारक को पहले देय ब्याज और फिर मूलधन के लिए इसका उपयोग करने का अधिकार है।

(12) मथुन्नी मथाई बनाम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1572 मामले में शीर्ष न्यायालय के नवीनतम फैसले से यह विवाद समाप्त हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय के आदेश के अनुसरण में की गई डिक्रीटल राशि की जमा राशि को मूलधन के प्रति नहीं माना जा सकता है। आदेश 21 के नियम 1 के उप-नियम (2) द्वारा आवश्यक किसी भी सूचना की अनुपस्थिति में और विनियोग के तरीके के संकेत की अनुपस्थिति में में, भुगतान को मूलधन के लिए विनियोजित नहीं माना जा सकता है जब तक कि डिक्री धारक इसे स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने आगे कहा है कि मेघराज के मामले (उपर्युक्त) में निर्धारित अनुपात अब अधिक कठोरता के साथ लागू होता है। असंशोधित और संशोधित प्रावधान दोनों में नियम का कारण यह प्रतीत होता है कि यदि निर्णय-देनदार का इरादा है कि ब्याज का चलना बंद हो जाए तो उसे लिखित रूप में सूचित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि डिक्री-धारक को इसकी तामील की जाए। निर्णय-देनदार की सुरक्षा के लिए 1976 में जोड़े गए उप-नियम (4) और (5) जमा या भुगतान की तारीख से ब्याज की समाप्ति का प्रावधान करते हैं। लेकिन उप-नियम

(4) के तहत ब्याज की समाप्ति अकेले भुगतान से नहीं बल्कि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट नोटिस की सेवा की तारीख से होती है ।

(13) इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, मुझे लगता है कि निष्पादन न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि डिक्री-धारक का कर्तव्य था कि वह न्यायालय में निर्णय-देनदारों द्वारा जमा की गई राशि को पहले मूल राशि के रूप में विनियोजित करे। और फिर ब्याज की ओर, क्योंकि माना जाता है कि आदेश 21 सीपीसी के नियम 1 के उप-नियम (2) या (3) के तहत याचिकाकर्ता-डिक्री धारक को निर्णय-देनदारों द्वारा कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई थी। तदनुसार, तीनों पुनरीक्षण याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। विवादित आदेश निरस्त किये जाते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा